कार्यवाहिक विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं पार्टी की

दिनांक 21.03.2018

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक:-प.1( ) सू.अ. 05/2018/173-174 दिनांक 13.03.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलांट का आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2018 का सूचना के अधिकारी अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 22.01.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र में वर्णित वांछित सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1( ) सू.अ.05/2018/57 दिनांक 23.01.2018 को प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा प्रार्थी के बताये पत्रांक की मूल पत्रावली इस अनुभाग को भिजवाई गई जिसके कुल पृष्ठ 07 होकर उसकी छाया प्रति कराई जाकर आर.टी.आई. मे प्रमाणित की जाकर इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प. 1( )सू0अ0 05/2018/142 दिनांक 20.02.2018 से तैयार कर प्रार्थी बी0पी0एल0 परिवार का होने से दिनांक 28.02.2018 को व्यक्तिशः उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रार्थी को कार्यालय के अभिलेख पर नियत समयावधि मे जो सूचना उपलब्ध थी वह सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2018 से अपने आवेदन पत्र मे अन्य लोक प्राधिकरणों मे पूर्व मे प्रार्थी अपीलांट द्वारा आर0टी0आई0 मे आवेदन कर सूचना चाही गयी सूचना नही मिलने का हवाला देकर कार्यवाही करने की इस्तुआ की गई जो कि आर0टी0आई0 एक्ट 05 के प्रावधानों मे प्रथम अपील व द्वितीय अपील के प्रावधान बने हुए है। उसी अनुरूप प्रार्थी को कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था वह नहीं कर आर0टी0आई0 आवेदन से कार्यवाही करवाना चाहता है। जो एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप समुचित नहीं है। आर0टी0आई0 एक्ट 05 की धारा 2 एच के अनुसार अभिलेख पर जो सूचना उपलब्ध हो वह आवेदन करने पर उपलब्ध कराई जावे जो प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 28.02.2018 से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसकी प्रति अपीलांट के डाक के पते प्रेषित की गयी है।

अपीलांट स्वयं उपस्थित। अपीलांट द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आपत्ति पेश की गयी कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही संबंधी चाही गयी सूचना में सतर्कता अनुभाग की जो सूचना उपलब्ध करवाई गयी है। वह विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुम्भलगढ के पत्र एवं रिपोर्ट सचिव ग्राम पंचायत उनरवास की प्रति दिलवाई गयी। सचिव के द्वारा जो मेरे पते पर सूचना भिजवाई गयी। वह भी अप्रमाणित होकर मेरे आर0टी0आई0 के प्रार्थना पत्र के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार इस मामले में विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्भलगढ के द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही सचिव, ग्राम पंचायत उमरवास ने भी मेरे प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। मैने आर0टी0आई के प्रार्थना पत्र में मुख्यरूप से पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी। जो मुझे आवेदन पत्र के अनुसार नहीं मिली है।

न्यायालय जिला क... राजसमन्द

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराया जाना प्रकट है। किन्तु अपीलांट द्वारा की गयी आपत्ति पर एवं अपीलांट की सुनवाई मे किये गये कथन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत उमरवास में पेश किये गये प्रार्थना पत्रों पर की गयी कार्यवाही संबंधी सूचना हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सही तरीके से सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से प्रार्थना पत्रानुसार प्रमाणितशुदा सूचना चाहता है।

सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने पर इस प्राधिकरण के पास जो सूचना अभिलेख मे उपलब्ध थी वह प्रार्थी अपीलांट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी को सुने जाने के उपरान्त सचिव, ग्राम पंचायत उमरवास पंचायत समिति कुम्भलगढ को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी अपीलांट के आर0टी0आई0 आवेदन से चाही गयी सूचना जो ग्राम पंचायत के अभिलेख पर उपलब्ध हो वह प्रार्थी को अभिलेख का अवलोकन करा बाद अवलोकन चाही गयी सूचना प्रमाणितशुदा 15 दिवस में उपलब्ध करावें एवं एक [redacted] प्रति इस प्राधिकरण को भी भिजवावें। साथ ही प्रार्थी अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के सात दिवस में ग्राम पंचायत उमरवास पंचायत समिति कुम्भलगढ मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर अभिलेख का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करें।

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सचिव, ग्राम पंचायत उमरवास पंचायत समिति कुम्भलगढ को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)